न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 78/2017

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीः–
सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण		1. भवंरू पुत्र चंदु 2. उरजन पुत्र चंदु कौम भांबी निवासी आनन्दपुर कालू तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार अनुपस्थित
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम पंचारिया उपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक : 22-10-19

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) जैतारण द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम आनन्दपुर कालू, पटवार हल्का आनन्दपुर कालू I तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 1640 किस्म गै.मु. नदी में से किस्म परिवर्तन कर अप्रार्थी के पिता चंदु के हक में रकबा 12 बीघा किस्म बा.दो. का आवंटन किया गया, जिसके बट्टा नम्बर 1640/1 पड़े, को निरस्त करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। सरकारी पैरोकार एवं अप्रार्थी संख्या 2 के अनुपस्थित रहने से प्रकरण का गुणावगुण पर आदेश पारित करने हेतु बहस अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 सुनी गई।

प्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि ग्राम आनन्दपुर कालू, पटवार हल्का आनन्दपुर कालू I, तहसील जैतारण जिला पाली के खसरा नम्बर 1640 किस्म गै.मु. नदी में से किस्म परिवर्तन कर अप्रार्थी के पिता चंदु के हक में रकबा 12 बीघा किस्म बा.दो. का आवंटन किया गया, जिसके बट्टा नम्बर 1640/1 पडे, जो खतौनी बन्दोबस्त अनुसार खसरा नम्बर 1640 गैर मुमकिन नदी दर्ज थी। जिसका आवंटन अप्रार्थी के पिता के पक्ष में आवंटन कमेटी द्वारा आदेश दिनांक 17.07.1970 के द्वारा किस्म परिवर्तन कर गै.मु. नदी से बा.दो. कर किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन कमेटी द्वारा किया गया उक्त

जिला कलेक्टर, पाली

आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के आवंटन आदेश दिनांक 17.07.1970 के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 473 दिनांक 06.05.1971 एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 1181 एवं 2019 को भी निरस्त करवाकर पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थीगण के पिता के हक में किया गया, आवंटन विधीनुरूप है, उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण के पिता का वक्त आवंटन से ही कब्जा है तथा उनकी मृत्यूपरान्त उनका कब्जा है व उस पर वह काश्त कर रहे है। उक्त भूमि मौके पर नदी का हिस्सा नहीं है तथा न ही अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय से प्रभावित है। अप्रार्थीगण के पास उक्त कृषि भूमि के अलावा जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम आनन्दपुर कालू, पटवार हल्का आनन्दपुर कालू I तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 1640 किस्म गै.मु. नदी में से किस्म परिवर्तन कर, अप्रार्थी के पिता के हक में रकबा 12 बीघा किस्म बा.दो. का आवंटन किया गया, जिसके बट्टा नम्बर 1640/1 पडे, जो पत्रावली संलग्न खतौनी बन्दोबस्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1640 गैर मुमकिन नदी दर्ज थी। जिसका आवंटन अप्रार्थीगण के पिता चंदू पुत्र इसर कौम भांबी को आवंटन कमेटी ने अपने आदेश दिनांक 17.07.1970 के द्वारा किस्म परिवर्तन कर किया गया, जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 473 दिनांक 06.05.1971 स्वीकृत किया गया, जिसके द्वारा अप्रार्थीगण के पिता को गैर खातेदार दर्ज किया गया, उनकी मृत्यूपरान्त अप्रार्थीगण के नाम फौतेदगी नामान्तरकरण ना.स. 1181 के द्वारा अप्रार्थी को गैर खातेदार दर्ज किया गया तथा उसके पश्चात जरिये नामान्तरकरण संख्या 2019 के द्वारा अप्रार्थीगण को खातेदार दर्ज किया गया। वक्त आवंटन जैर प्रार्थना पत्र आराजी गैर मुमकिन नदी दर्ज थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन विधि विरूद्ध है तथा स्पष्टतया खारीज योग्य है। इसके साथ ही जैर प्रार्थना पत्र आराजी माननीय राजस्थान उच्च्य न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1539/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से भी पूर्णतः प्रभावित होने से आवंटन अधिकारी के आवंटन ओदश दिनांक 07.07.1970 तथा उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 473 दिनांक

जिला कलेक्टर, पाली

06.05.1971 एवं उसके पश्चातवर्ती ना.स. 1181 एवं 2019 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, जैतारण द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के पिता चंदु पुत्र इसर कौम भांबी निवासी आनन्दपुर कालू तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) के पक्ष में आवंटन कमेटी द्वारा किया गया आवंटन आदेश दिनांक 17.07.1970 एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 473 दिनांक 06.05.1971 एवं उसके पश्चातवर्ती ना.स. 1181 एवं 2019 को निरस्त फरमाया जावे एवं उक्त आराजी की किस्म परिवर्तन कर बारानी दोयम से पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र सादर प्रेषित है।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली